

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/426/2006-

59/18-19-5-ली

/राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रेषक,

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
गैपचारिक रूप
से परामर्शित

सेवा में,

अरुण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- दुमका जिलान्तर्गत बड़ा नदी जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य हेतु कुल रु० 1320.73 लाख (रुपये तेरह करोड़ बीस लाख तिहत्तर हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर परिक्षेत्राधीन दुमका जिलान्तर्गत बड़ा नदी जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य हेतु कुल रु० 1320.73 लाख (रुपये तेरह करोड़ बीस लाख तिहत्तर हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- बड़ा नदी जलाशय योजना के मुख्य नहर की कुल लम्बाई 4.380 कि०मी० है। मुख्य नहर के 4.380 कि०मी० पर दांयी तरफ से पालसा वितरणी निकलती है, जिसकी लम्बाई 5.20 कि०मी० है एवं मुख्य नहर के कि०मी० 4.380 पर बांयी तरफ से पाकुड़िया वितरणी निकलती है, जिसकी लम्बाई 5.88 कि०मी० है।
- इस योजना का खरीफ सिंचाई क्षमता 1214 हे० तथा रब्बी सिंचाई क्षमता 242 हे० है।
- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर द्वारा इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु रु० 1320.73 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके प्रमुख अवयवों की विवरणी निम्नवत् है -

Sl. No.	Component	Amount (in Lakh Rs.)
1	C-Works	202.48
2	F- C.D. Works	74.18
3	G- Bridges	61.52
4	L(i)- Earth Work	65.92
5	L(ii)- Lining	534.18
6	M- Plantation	1.09
7	U- Distributories	197.12
8	V- Water Course	25.30
	Total :-	1161.79
	Add : GST - 12%	139.42
	Total :-	1301.21
	Add : 1% Labour Cess	13.01
	Add : 1/2% Contingency	6.51
	Grand Total :-	1320.73

6. इस कार्य के उपरान्त हासित सिंचाई क्षमता 764 हे० खरीफ एवं 242 हे० रब्बी पुनर्बहाल हो सकेगा।
7. यह कार्य वर्ष 2018-19 में प्रारम्भ कर जून 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
8. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।
9. इस योजना पर होने वाला व्यय
मुख्य शीर्ष '4701' - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य, लघु शीर्ष -796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-54-सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, 45-निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड- 49S-4701-80-796-54-05-45)
10. इस योजना का कार्यान्वयन सिंचाई प्रमण्डल, दुमका द्वारा कराया जायेगा। इसके नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर होंगे तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका होंगे।
11. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।
12. कार्य के लिये राशि की निकासी दुमका कोषागार, दुमका से की जायेगी।
13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
14. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
16. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
17. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
18. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिन्, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

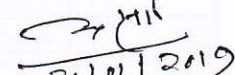


(अरुण कुमार सिंह) 31.1.19

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/426/2006-59/18-19-एच/राँची, दिनांक 01.02.2019

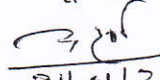
प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/426/2006-59/18-19 ज.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, दुमका कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/426/2006-59/18-19 ज.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, दुमका/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृति/त्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

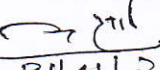

31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/426/2006-59/18-19 ज.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:- 1/पी०एम०सी०/कार्य/426/2006-59/18-19 ज.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


31/01/2019

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

